

साधु वासवानी स्वशासी महाविद्यालय  
संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) भोपाल—462030 (म.प्र.)  
स्वशासी योजना के अंतर्गत शासी निकाय की बैठक  
क्रमांक 03 (सत्र 2018–19)

दिनांक 15.01.2019

समय पूर्वान्ह 11:30 बजे

कार्यवृत्त

आज दिनांक 15.01.2019 को पूर्वान्ह 11:30 बजे महाविद्यालय में स्वशासी योजना के अंतर्गत शासी निकाय की बैठक माननीय श्री दयालदास डेटानी जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

1. अध्यक्ष  
श्री दयालदास डेटानी (अध्यक्ष प्रबंध समिति)
2. प्रबंध समिति के नामित सदस्य
  1. श्री राजेन्द्र मनवानी (महासचिव)
  2. श्री दिनेश बाधवानी (कोषाध्यक्ष)
3. कुलपति, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा नामित सदस्य  
डॉ प्रमिला मैनी  
पूर्व निदेशक, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल
4. शासी निकाय द्वारा नामित शिक्षाविद  
डॉ. आभा बाजपेई  
सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिन्दी  
सरोजिनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
शिवाजी नगर, भोपाल
5. महाविद्यालय के प्राचार्य – पदेन सचिव (शासी निकाय )  
डॉ. अनिल कुमार सिंह
6. प्राचार्य द्वारा नामित महाविद्यालय के प्राध्यापक
  - (i) डॉ. डी.के. दुबे, सहायक प्राध्यापक, प्रबंधन।
  - (ii) डॉ. सुमन मलिक, सहायक प्राध्यापक, रसायन शास्त्र।
7. विशेष आमंत्रित सदस्य
  - (i) श्री अशोक आडवानी, सचिव प्रबंध समिति
  - (ii) डॉ. मधुलिका सिंह, नियंत्रक (स्वशासी प्रकोष्ठ)

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा उपरांत निम्न निर्णय लिये गये ।

**बिन्दु क्रमांक 01 :-** सत्र 2017–18 में स्वशासी योजना के अंतर्गत आयोजित शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन पर चर्चा ।

शासी निकाय की बैठक में उपस्थित सदस्यों को माननीय प्राचार्य महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि शैक्षणिक सत्र 2017–18 हेतु स्वशासी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय द्वारा बनाए गए प्लानर के अनुसार सभी शैक्षणिक एवं शैक्षणेतर गतिविधियां सम्पन्न करवाई गईं। महाविद्यालय की स्वशासी योजना के अन्तर्गत करवाई जाने वाली परीक्षाएं भी तय समय सीमा के अन्तर्गत आयोजित हुई एवं सभी परीक्षा परिणाम समय पर घोषित किए गए। उक्त बिन्दु पर चर्चा के दौरान डा. प्रमिला मैनी द्वारा सुझाव दिया गया कि सर्वाधिक अंक प्राप्त विद्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अधिक से अधिक विद्यार्थियों द्वारा देखा जाए, इस हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाय। इस सुझाव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया। इस बैठक के दौरान शासी निकाय की सत्र 2017–18 की बैठक में लिए गए निर्णयों पर क्रियान्वयन की शासी निकाय द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई।

**बिन्दु क्रमांक 02:-** अकादमिक परिषद द्वारा अनुमोदित अकादमिक प्रस्ताव:

- (i) वर्तमान सत्र 2018–19 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 18 विषयों के अध्ययन मंडलों के मनोनीत सदस्यों एवं अकादमिक परिषद् हेतु मनोनीत अन्य सदस्यों का अनुमोदन।  
प्राचार्य एवं महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित सदस्यों के बारे में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। विभिन्न विषयों के अध्ययन मंडलों एवं परीक्षा समिति हेतु मनोनीत सदस्यों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- (ii) सत्र 2018–19 में स्नातक स्तर पर पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर तथा वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत द्वितीय वर्ष के विषयों वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र, औद्योगिक रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन, प्रबंधन (BBA), वाणिज्य, भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, हिन्दी, गणित, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं आधार पाठ्यक्रम के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों का अनुमोदन।  
विभिन्न विषयों वनस्पति शास्त्र, सूक्ष्म जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र, औद्योगिक रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, कम्प्यूटर साइंस एवं एप्लीकेशन, प्रबंधन (BBA), वाणिज्य, भौतिक शास्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, हिन्दी, गणित, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं आधार पाठ्यक्रम के अध्ययन मंडलों द्वारा अनुशंसित पाठ्यक्रमों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- (iii) सत्र 2018–19 में स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र, अंग्रेजी, प्रबंधन, वाणिज्य विषयों में आंशिक संशोधन/सुझाव एवं स्नातकोत्तर स्तर पर गणित एवं रसायन शास्त्र विषय में आंशिक संशोधन जो कि अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित हैं, का अनुमोदन।

सत्र 2018–19 में स्नातक स्तर पर प्राणी शास्त्र, अंग्रेजी, प्रबंधन, गणित, वाणिज्य विषयों में आंशिक संशोधन/सुझाव एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रसायन शास्त्र विषय में आंशिक संशोधन जो कि अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित हैं, का अनुमोदन।

- (iv) स्वशासी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में सेमेस्टर एवं वार्षिक प्रणाली हेतु अनुमोदित परीक्षा नियमों में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले संशोधन यथावत लागू करने हेतु अनुशंसा।  
निर्णयः— यथा प्रस्तावित अनुमोदित।

- (v) अकादमिक विषयों पर सुझाव एवं अनुशंसा।  
महाविद्यालय में फैशन डिजाइनिंग के एक वर्षीय पाठ्यक्रम पर चर्चा। उपरोक्त बिन्दु के अंतर्गत फैशन डिजाइनिंग के एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम पर वि.वि. द्वारा नामित सभी माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि डिप्लोमा कोर्स प्रारम्भ करने से पहले बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के अध्यादेश की जानकारी प्राप्त कर लें। उन्होंने इस हेतु सर्टिफिकेट कोर्स प्रारंभ करने की अनुशंसा की तथा एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम अध्यादेश की जानकारी प्राप्त होने पर ही शुरू करने का प्रस्ताव दिया, जिसका प्राचार्य महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया। B.Voc Programme के अंतर्गत महाविद्यालय द्वारा तीन प्रस्ताव – क्लीनिकल न्यूट्रीशन एवं डायटेटिक्स, रिटेल मैनेजमेन्ट एवं इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने का अनुमोदन किया गया।

- (vi) महाविद्यालय में सत्र 2018–19 से कन्या छात्रावास हेतु बनाये गये नियमों की अनुशंसा।  
उपरोक्त विषय पर चर्चा के दौरान डॉ० विनय श्रीवास्तव द्वारा कन्या छात्रावास के संबंध में जानकारी मांगी गई जो महाविद्यालय की प्राध्यापक डॉ० साधना तामोट (वार्डन) द्वारा प्रदान की गई। सभी सदस्यों द्वारा इन नियमों का अनुमोदन किया गया।
- (vii) महाविद्यालय में म.प्र. शासन द्वारा घोषित मेधावी छात्र योजना एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना (असंगठित कर्मकार हेतु) नियमानुसार चलाये जाने की अनुशंसा। प्राचार्य महोदय द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित विद्यार्थियों की जानकारी दी गई। यथा प्रस्तावित अनुमोदित।

बिन्दु क्रमांक 02(iii) पर चर्चा के दौरान डॉ० प्रभिला मैनी द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन से संबंधित जानकारी मांगी गई और सुझाव दिया गया कि पाठ्यक्रम में से अनावश्यक एवं अनुपयोगी भाग को वर्तमान परिवेश के अनुसार हटाकर तर्क संगत परिवर्तन किये जाएँ। इस संबंध में अध्ययन मंडल की बैठक में आने वाली कठिनाईयों का दस्तावेजीकरण भी किया जाये।

बिन्दु क्रमांक 02(vi) के अंतर्गत नियमों के अवलोकन उपरांत डॉ० मैनी द्वारा छात्राओं का अपने अभिभावकों से फोन पर वार्तालाप का समय बढ़ाये जाने की अनुशंसा की जिसे सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

PRINCIPAL

Sadhu Vaswani Autonomous College  
SANT HIRDARAM NAGAR  
BHOPAL-462030

बिन्दु कमांक 02(vii) के अंतर्गत महाविद्यालय में म.प्र. शासन द्वारा घोषित मेधावी छात्र योजना एवं शिक्षा प्रोत्साहन योजना में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश शुल्क/परीक्षा शुल्क पर चर्चा की गई। इस पर आने वाली कठिनाइयों पर डॉ० मैनी द्वारा सुझाव दिया गया कि इस हेतु मध्यप्रदेश शासन को बारंबार पत्र लिख कर सूचित किया जाए। उक्त सुझाव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

अन्य सभी बिन्दु यथा प्रस्तावित अनुमोदित।

**बिन्दु कमांक 03 :-** शासी निकाय हेतु सत्र 2018-19 के नये मनोनीत सदस्यों के अनुमोदन हेतु शासी निकाय हेतु अध्यक्ष प्रबंधन समिति, प्राचार्य, उच्च शिक्षा विभाग, कुलपति बरकतउल्ला विद्यो भोपाल द्वारा मनोनीत किए गए सभी सदस्यों का अनुमोदन किया गया।

**बिन्दु कमांक 04 :-** वित्त समिति द्वारा अनुमोदित वित्तीय प्रस्ताव।

(अ) यूजी.सी. की सत्र 2017-18 की ऑटोनोमी ग्रान्ट के utilization का अनुमोदन।

(ब) सत्र 2018-19 के स्वशासी मद के प्रस्तावित बजट पर चर्चा।

(स) स्वशासी परीक्षा हेतु देय मानदेय में निम्न संशोधन हेतु:

- (i) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु न्यूनतम मानदेय बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल के समान रु 500/- से बढ़ाकर रु 600/- करने हेतु प्रस्ताव।
- (ii) स्वशासी परीक्षाओं में वीक्षण कार्य करने हेतु वीक्षकों तथा अन्य सदस्यों के मानदेय को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के समान करने हेतु प्रस्ताव।

यूजीसी द्वारा प्रदत्त स्वशासी बजट की उपयोगिता के संबंध में डॉ. आभा वाजपेयी द्वारा सुझाव दिया गया कि स्वीकृत राशि का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, जिसकी सर्वसम्मति के द्वारा अनुशंसा की गई।

अन्य वित्तीय प्रस्ताव यथा प्रस्तावित अनुमोदित।

**बिन्दु कमांक 05 :-** महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु गठित विभिन्न समितियों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

डॉ० प्रभिला मैनी द्वारा यूजीसी प्लानिंग बोर्ड एवं रिसर्च कमेटी के बारे में जानकारी मांगी गई और डॉ० प्रभिला मैनी द्वारा यूजीसी प्लानिंग बोर्ड एवं रिसर्च कमेटी के बारे में जानकारी मांगी गई और उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि महाविद्यालय में ग्रीन ऑफिट कमेटी तथा योजना एवं मूल्यांकन समिति का गठन किया जाए। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने के लिये उचित दस्तावेजीकरण का गठन किया जाए। शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को प्रभावी बनाने के लिये उचित दस्तावेजीकरण का गठन किया जाए। पूर्वछात्र संघ का पंजीकरण कराया जाए एवं पूर्व छात्रों से सक्रिय सहयोग लिया जाए। उक्त सुझाव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

बिन्दु क्र० 06:- माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

माननीय अध्यक्ष द्वारा महाविद्यालय के सर्वांगीण विकास हेतु सुझाव मांगे जाने पर सभी सदस्यों ने विभिन्न सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त डॉ प्रमिला मैनी द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि कार्यकारिणी समिति के स्थान पर शासी निकाय नाम किया जाए। उक्त सुझाव को सर्वसम्मति से मान्य किया गया।

बैठक के अंत में शासी निकाय के अध्यक्ष श्री दयालदास डेटानी जी द्वारा सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया गया।



प्राचार्य

PRINCIPAL  
Sadhu Vaswani Autonomous College  
Sant Hirdaram Nagar,  
Bhopal-462030 Bhopal

- प्रतिलिपि :
1. अध्यक्ष शासी निकाय, साधु वासवानी शिक्षण समिति
  2. प्रबंध समिति के नामित सदस्य
  3. प्राचार्य द्वारा नामित महाविद्यालय के प्राध्यापक
  4. यू.जी.सी. (नई दिल्ली) द्वारा नामित सदस्य
  5. राज्य शासन द्वारा नामित सदस्य
  6. विश्वविद्यालय द्वारा नामित सदस्य
  7. नियंत्रक स्वशासी प्रकोष्ठ



PRINCIPAL  
Sadhu Vaswani Autonomous College  
SANT HIRDARAM NAGAR  
BHOPAL-462030